

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001



फाईल सं. 22/ISTAD/(Misc-FD)2026

दिनांक: 16.03.2026

सेवा में :

सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/CSIR मुख्यालय की इकाइयों के प्रमुख

विषय: CSIR के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) कर्मियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं के प्रस्तावों का युक्तीकरण तथा तत्संबंधी प्रतिनियुक्ति रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करना है कि सक्षम प्राधिकारी ने यह पाया है कि अधिकारियों/वैज्ञानिकों की विदेश यात्राओं के लिए काफी संख्या में प्रस्ताव इस कार्यालय में माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) तथा पृथ्वी विज्ञान (ES) मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कई मामलों में, ऐसे प्रस्ताव बिल्कुल अंतिम समय पर प्राप्त होते हैं, जिससे यात्रा की निर्धारित तिथि से पहले उनकी उचित जांच और प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत कम समय बचता है। इस संबंध में, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की है और यह इच्छा जताई है कि ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत और सुव्यवस्थित बनाया जाए। इस बात पर जोर दिया गया है कि official विदेश यात्राओं के प्रस्ताव केवल उन्हीं मामलों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जहाँ यात्रा बिल्कुल आवश्यक, अपरिहार्य हो और संबंधित CSIR प्रयोगशाला/संस्थान के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के साथ स्पष्ट रूप से मेल खाती हो। इसलिए, सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों को यह सलाह दी जाती है कि वे मंजूरी के लिए प्रस्ताव को आगे भेजने से पहले, प्रस्तावित यात्रा की आवश्यकता, प्रासंगिकता और अपेक्षित लाभों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।

विदेश में official deputation के सभी प्रस्तावों को लैब/संस्थान स्तर पर पूरी सावधानी और तत्परता के साथ process किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया CSIR की मौजूदा विदेश प्रतिनियुक्ति दिशानिर्देशों और भारत सरकार (GoI) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आधिकारिक विदेश यात्राओं से संबंधित निर्देशों के पूरी तरह से अनुरूप होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव ISTAD द्वारा समय-समय पर जारी की गई समय-सीमाओं (Timelines) के अनुसार काफी पहले ही जमा कर दिए जाएं, ताकि उनकी जांच-पड़ताल करने और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। CSIR की लैब/संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्ताव में यात्रा का उद्देश्य, कार्यक्रम/बैठक/सम्मेलन का स्वरूप, अपेक्षित परिणाम, और CSIR की लैब/संस्थानों के कार्य व दायित्वों के संदर्भ में इस यात्रा की प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में प्रतिनिधिमंडल (delegation) की संरचना, यात्रा की अवधि, वित्तपोषण का स्रोत, और CSIR को होने वाले संभावित लाभों से संबंधित विवरण भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया है कि यात्रा पूरी होने के बाद, CSIR के वे सभी S&T कर्मियों जिन्हें विदेश यात्रा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, यात्रा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर एक विस्तृत प्रतिनियुक्ति रिपोर्ट जमा करेंगे। रिपोर्ट में यात्रा के दौरान हुई मुख्य चर्चाओं, प्राप्त ज्ञान या अनुभव, अपेक्षित परिणामों और आगे की संभावित दिशाओं को रेखांकित किया जाना चाहिए; ये दिशाएँ नीतिगत सुझावों, सहयोग के अवसरों, क्षमता निर्माण, या सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के कार्यान्वयन के संदर्भ में हो सकती हैं, जिनसे CSIR को लाभ पहुँच सके।

सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों से अनुरोध है कि वे विदेश यात्राओं के प्रस्ताव जमा करते समय और ऐसी यात्राओं के परिणामों की रिपोर्ट देते समय, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय
रमा स्वामी
16/3/2026
रमा स्वामी बंसल